न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

प्रार्थना–पत्र संख्या :– 4/2019
निर्णय दिनांक 14.10.2021

मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि. स्थानीय ईकाई कोटपूतली सीमेंट वर्क्स स्थित ग्राम मोहनपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज. रजिस्टर्ड कार्यालय बी–विंग द्वितीय मंजिल अहूरा सेन्टर महाकालीकेव्ज रोड अन्धेरी ईस्ट मुम्बई जरिये अधिकृत प्रतिनिधि (रिटेनर लैण्ड डिपार्टमेन्ट) महावी सिंह सिसोदिया पुत्र श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया जाति राजपूत हाल निवासी दुर्गा माता मंदिर के पिछे कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थी

1. प्रार्थी द्वारा जरिये वकील पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र पेश कर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार पेश किये है कि याचि कम्पनी ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 88 एल0आर0 एक्ट याचिका संख्या 20/2015 इस आशय का प्रस्तुत किया था कि आराजी ख.नं. 70, 250 एवं 305 बन्दोबस्त हाल वाके ग्राम मोहनपुरा जो कम्पनी का अधिकृत खनन क्षेत्र है। क्रमशः 0.44, 0.37, 0.02 कुल 83 एयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज थी। कम्पनी द्वारा धारित खनन क्षेत्र की लगभग तमाम भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी कम्पनी के लिए अधिकृत की जा चुकी थी। उक्त भूमि जो गैर मुमकिन रास्ता दर्ज थी वास्तव में न तो रास्ता मौजूद था तथा उक्त भूमि के चारों तरफ की भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् रास्ते की उपयोगिता भी समाप्त हो गयी थी फिर भी कम्पनी ने वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध करवा कर हस्तगत भूमि में से रास्ता हज्फ करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी जो दिनांक 20/10/2015 को माननीय न्यायालय में पेश की थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21/01/2016 को आदेश पारित कर याचिका स्वीकार कर ली गयी थी।
2. यह है कि याचि ने अपनी याचिका में स्वयं द्वारा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराने का वचन दिया था। उक्त रास्ता अब एक सीमेन्टेड रोड है तथा मौके पर चालू है तथा श्रीमान् के आदेश से रास्ता दर्ज कर लिया गया है। ऐसी सूरत में याचि से मुआवजा नही लिया जा सकता। इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। चूँकि प्रार्थी ने न्यायालय के आदेशानुसार 08/5/2017 को जरिये डी.डी 1842955/– रूपये राजकोष में जमा कराये जा चुके है, जिन्हें याचि कम्पनी वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त राशि याचि द्वारा अन्डर प्रोटेस्ट जमा करायी गयी थी।
3. यह है कि विवादित भूमि जो रास्ते के रूप में दर्ज थी उसे राज्य सरकार ने याचि कम्पनी को खनिज लाईम स्टोन उत्खन्न वास्ते खनन पट्टे पर दे दी थी एवं याचि कम्पनी उक्त भूमि पर बतौर लेसी काबिज हो चुकी थी किन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज थी जबकि मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं था क्योंकि रास्ते के चारों तरफ स्थित भूमियां याचि कम्पनी का खनन क्षेत्र है, जिसका याचि कम्पनी को खनन पट्टा मिला हुआ है तथा याचि कम्पनी बतौर लेसी काबिज होकर खनन कार्य शुरू कर चुकी है। इस कारण उक्त क्षेत्र प्रतिबन्धित क्षेत्र हो गया था। रास्ते की आवश्यकता एवं उपयोगिता भी समाप्त हो चुकी थी। इनत माम परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर भूमि के विनियम की शर्त के साथ रास्ते को हज्फ करने के आदेश फरमाये थे। इसलिए भूमि का मूल्य याचि कम्पनी से नहीं लिया जा सकता। इस कारण भी आदेश इस हद तक रिन्यू किया जाना आवश्यक है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by Scanner Go

4. यह है कि उक्त भूमि की मात्र किस्म परिवर्तन करने के आदेश दिये गये है तथा गै.मु. रास्ते से किस्म परिवर्तन कर सिवायचक बंजड दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। प्रार्थी कम्पनी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये है, जबकि प्रार्थी कम्पनी ने अपनी खातेदारी भूमि सरेण्डर की है। इस कारण भी उक्त भूमि की डी.एल.सी राशि लिया जाना न्याय संगत नहीं है। इस कारण उक्त आदेश रिव्यु किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। लिहाजा इस अनुरूप आदेश तरमीम किया जाकर राजकोष में जमा राशि याचि को वापस दिलवाने की कृपा करें।
5. प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये वकील रिव्यु प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अपार्थी को जरिये नोटिस सूचित कराया गया। बाद तामील प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किया गया।
6. बहस वकील प्रार्थी कम्पनी सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने रिव्यु प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अभिकथन किया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 20/2015 अन्तर्गत धारा 88 एल.आर एक्ट पेश की गयी थी कि आराजी ख.नं. 70, 250, 305 बन्दोबस्त हाल वाके ग्राम मोहनपुरा कम्पनी का अधिकृत खनन क्षेत्र में क्रमशः 0.44, 0.37, 0.02 कुल 83 एयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज थी। चूँकि कम्पनी द्वारा धारित खनन क्षेत्र की तमाम भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी कम्पनी के लिए अधिग्रहित की जा चुकी थी। उपरोक्त भूमि जो गैर मुमकिन रास्ता दर्ज थी। वास्तव में वहा ना तो रास्ता मौजूद था। उक्त भूमि के चारों तरफ की भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् रास्ते की उपयोगिता भी समाप्त हो गयी थी फिर भी कम्पनी द्वारा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराकर हस्तगत भूमि में से रास्ता हज्फ करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21/01/2016 को आदेश पारित कर याचिका स्वीकार कर याचि की मांग स्वीकार कर ली थी। याचि ने अपनी याचिका ने वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराने का वचन दिया था। उक्त रास्ता अब सीमेन्टेड रोड है। मौके पर चालू है, जो श्रीमान् न्यायालय के आदेश से रेवन्यु रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर लिया है। ऐसी सूरत में मुआवजा नही लिया जा सकता था। इस कारण पारित आदेश में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 1842955/– रूपये जमा करायी जा चुकी है, जो कम्पनी वापिस प्राप्त करने की अधिकारी है। क्योंकि विवादास्पद भूमि रास्ते के रूप में दर्ज थी उसे याचि कम्पनी को खनन पट्टे पर दी थी। याचि कम्पनी उक्त भूमि पर बतौर लैसी काबिज हो चुकी थी। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज थी, जबकि मौके पर कोई चालू रास्ता नहीं था। इस कारण से उक्त क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र हो चुका था। रास्ते की उपयोगिता एवं आवश्यकता समाप्त हो चुकी थी। इसलिए न्यायालय श्रीमान् द्वारा रास्ते को हज्फ करने के आदेश फरमाये थे। इस कारण भूमि का मूल्य नहीं लिया जा सकता प्रार्थी कम्पनी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये है। केवल रास्ते की किस्म परिवर्तन के आदेश पारित किये गये है, जबकि प्रार्थी कम्पनी ने अपनी खातेदारी भूमि सरेण्डर की है। इस कारण भी उक्त भूमि की डी.एल.सी राशि लिया जाना न्याय संगत नहीं है। इस कारण उक्त आदेश रिव्यू किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः इस अनुरूप आदेश तरमीम किया जाकर राजकोष में जमा राशि को वापिस दिलवाने की कृपा करें।
7. बहस पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटपूतली सूनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया है कि श्रीमान् न्यायालय के निर्णय 11/02/2016 के मुताबिक गै.मु. रास्ते की भूमि की डी.एल.सी दर से गणना की गयी है जो अण्डर प्रोटेस्ट जमा करायी गयी है।
8. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, साक्ष्य एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि पूर्व में इस न्यायालय में मु.नं. 26/2015 मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 स्थानीय इकाई ग्राम मोहनपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर बनाम तहसीलदार कोटपूतली अन्तर्गत धारा 88 एल.आर एक्ट में प्रार्थना–पत्र पेश किया था जो दिनांक 11/02/2016 को निर्णय पारित होना पाया गया। उपरोक्त मुताबिक निर्णय ग्राम मोहनपुरा तहसील कोटपूतली के आ.ख.नं. 70, 250 व 305 जो कम्पनी के अधिकृत क्षेत्र में क्रमशः 0.44, 0.37 व 0.02 कुल 83 एयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज थी। राज्य सरकार ने प्रार्थी कम्पनी के लिए खनन क्षेत्र की भूमि अधिकृत की गयी थी। उपरोक्त भूमि जो गै.मु. रास्ता दर्ज थी वहां पर वास्तव में न तो रास्ता मौजूद था ना ही उक्त रास्ते की आवश्यकता थी। उक्त भूमि के चारों तरफ की भूमि अधिग्रहण हो चुकी थी फिर भी कम्पनी द्वारा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराकर रास्ता हज्फ करने के आदेश पारित कर इसके स्थान पर कम्पनी द्वारा प्रस्तावित भूमि 11 मीटर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है। हज्फ की गयी भूमि जो गै.मु. रास्ते में दर्ज थी उसकी वर्तमान डी.एल.सी दर से राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया गया था। वकील याचि कम्पनी का अभिकथन है कि याचि ने अपनी याचिका में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराने का वचन दिया था। उक्त रास्ता मौके पर चालू है जो वर्तमान में श्रीमान् के

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by Scanner Go

आदेशानुसार रेवन्यू रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर लिया है, ऐसी सूरत में मुआवजा नहीं लिया जा सकता। इसलिए उक्त पारित आदेश में संशोधन किया जाना आवश्यक है। कम्पनी द्वारा 1842955/– रूपये जमा कराये जा चुके है जो कम्पनी वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त गै0मु0 रास्ता की आवश्यकता एवं उपयोगिता नहीं होने के कारण श्रीमान् न्यायालय द्वारा गै0मु0 रास्ते को हज्फ करने के आदेश पारित किये थे इस कारण भूमि का मूल्य नहीं लिया जा सकता है केवल रास्ते की किस्म परिर्वतन की है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर राजकोष में जमा राशि को वापिस दिलवायी जावें।

चूँकि पूर्व में मु.नं. 26/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11/2/2016 के मुताबिक ग्राम मोहनपुरा के आराजी ख.नं. 70, 250 व 305 किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि दर्ज है। उसकी डी.एल. सी राशि राजकोष में जमा करायी जावें। इसके बाद गै0मु0 रास्ता की भूमि को हज्फ कर उसके स्थान पर कम्पनी द्वारा प्रस्तावित भूमि 11 मीटर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये थे तथा याचि कम्पनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया था। वकील याचि कम्पनी ने बहस में जाहिर किया है कि याचि ने अपनी याचिका में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराने का वचन दिया था। उक्त रास्ता सीमेन्टेड रोड है, जो मौके पर चालू है प्रार्थी कम्पनी द्वारा डी.एल.सी दर से मुआवजा जमा करा दिया गया है एसी सूरत में मुआवजा नहीं लिया जा सकता जमा करायी राशि 1842955/– रूपये वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है। श्रीमान् न्यायालय द्वारा उक्त गै0मु0 रास्ते की भूमि की किस्म परिवर्तित की है, जबकि प्रार्थी कम्पनी ने अपनी खातेदारी भूमि सरेण्डर की है। इसलिए रास्ते बाबत डी.एल.सी राशि लिया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर जमा राशि को वापिस दिलाया जावें। पत्रावली के अवलोकन करने एवं प्रस्तुत बहस पर मनन करने से प्रकरण में मु.नं. 26/2015 ब उनवान अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 बनाम तहसीलदार कोटपूतली की पालना में गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज थी। उसकी डी.एल.सी दर से राशि राजकोष में जमा हो चुकी है तथा उक्त रास्ता को हज्फ कर कम्पनी द्वारा प्रस्तावित भूमि का 11 मीटर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा पारित आदेश में संशोधन चाहा गया है तथा जमा राशि को वापिस लेने हेतु रिव्यु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। उपरोक्त विवेच के फलस्वरूप प्रार्थी याचि का प्रार्थना–पत्र जमा राशि की हद तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। अतः याचि द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र जमा राशि की हद तक स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9. यह निर्णय आज दिनांक 15.10.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by Scanner Go